संख्या-1/3/96-का-4-2005

प्रेषक,

बी.एन.दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ:: दिनांक:: 01अगस्त, 2005

विषयः- उत्तर प्रदेश ग्राम-पंचायतों के सदस्यों एवं प्रधानों के निर्वाचन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-3171/रा. नि.आ./अनु.-4/2005, दिनांक 20 जुलाई, 2005 की छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको उपलब्ध कराने का मुझे निदेश हुआ है ।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव ।

P.T.O.

अपरमिता प्रसाद सिंह

निर्वाचन आयुक्त, उ0प्र0

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश,

पी0सी0एफ0भवन, 32–स्टेशन रोड, लखनऊ

दूरभाष : 2630119

फैक्स : 0522–2630115, 2630154

अर्द्ध शा0 पत्र सं0: 3171 /रा0नि0आ0/अनु0-4/2005

दिनांक: 20 जुलाई, 2005

प्रिय मुख्य सचिव,

अवगत ही है कि उत्तर प्रदेश ग्राम–पंचायतों के सदस्यों व प्रधानों के वर्ष–2005 में 30 जुलाई से 28 अगस्त, 2005 के बीच निर्वाचन कराने का परामर्श राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश शासन को दिया था जिसके अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18–7–2005 को निर्गत कर दी गई है तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना दिनांक 19–07–2005 को निर्गत कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की निर्गत तिथि से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। फलस्वरूप प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर तथा नवीन विकास कार्य या निर्माण कार्य पर रोक लग गई है।

स्थानान्तरण की रोक राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों यथा– जिलाधिकारियों से लेकर लेखपालों तक लागू होगी। इसी प्रकार पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों अर्थात् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से लेकर सिपाहियों पर भी लागू होगी। किन्तु यह रोक सचिवालय के कर्मचारियों, डाक्टरों, इन्जीनियरों व विकास कार्य के उन अधिकारियों/कर्मचारियों पर जिनका ग्रामीण विकास तथा पंचायत से कोई संबंध नहीं है और जिनको निर्वाचन ड्यूटी नहीं दी गई हो, पर लागू नहीं होगी।

आदर्श आचार संहिता के दौरान राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व विकास से सम्बन्धित विभागों में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। उसी प्रकार कोई नये विकास कार्य या निर्माण कार्य भी प्रारम्भ नहीं किए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई नवीन योजना को प्रारम्भ नहीं किया जाएगा। परन्तु चालू विकास कार्य चलते रहेगें। वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं और जो कार्य प्रगति पर हैं, उन पर कोई रोक नहीं होगी तथा छात्रवृत्ति तथा मिड–डे मील पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। नया कार्य प्रारम्भ हो सकता है किन्तु उसका शिलान्यास/उद्घाटन किसी राजनैतिक व्यक्ति या अधिकारी से नहीं होगा।

यदि किसी अपरिहार्य कारण से रोक में शिथिलता की आवश्यकता युक्ति–युक्त ढंग से प्रतीत होती हो तो राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित किया जाएगा और उसका निर्देश अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त स्थानान्तरण, नये विकास कार्य को प्रारम्भ करने पर निर्वाचन सम्पन्न होने तक तात्कालिक प्रभाव से रोक लग जाएगी। उसे सुनिश्चित करने पर कृपया ध्यान दिया जाए।

भवन्निष्ठ,

(अपरमिता प्रसाद सिंह)

श्रीमती नीरा यादव,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,